(वाद संख्या–6750/17)

02.08.2019

परिवादी अजय कुमार वर्मा, तत्कालीन कनीय अभियन्ता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रषाखा–2, अरवल (वर्तमान में कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, हरनौत, कार्य प्रषाखा–नुरसराय, जिला–नालन्दा) अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित हैं।

श्री रामदयाल पासवान, कार्यपालक अभियन्ता, कार्य प्रमण्डल, अरवल व श्री रामचन्द्र पंडित, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अवर प्रमण्डल, कुरथा, अरवल (वर्तमान में सहायक अभियन्ता ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अवर प्रमण्डल, विक्रमगंज) उपस्थित हैं।

प्रस्तुत मामला परिवादी, श्री वर्मा के अरवल से स्थानांतरणोपरान्त, उनके अंतिम वेतन प्रमाण–पत्र में 37,348 अदद् ईंट का प्रभार नहीं सौंपने से संबंधित प्रविष्टि कर उनके वेतन से उक्त ईंटों की राषि की वसूली किये जाने के संबंध में उल्लेख से संबंधित है।

उपस्थित कार्यपालक अभियन्ता तथा सहायक अभियन्ता द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि आई0ए0पी0 के अंतर्गत हरपुर से बड़हिया एवं लिंक रोड, शहवाजपुर के निर्माण में निर्माण स्थल से निर्माण कार्य के दौरान उक्त निर्माण कार्य के संवेदक द्वारा, निर्माण स्थल पर पूर्व से बिछाये गये ईंटों को, अवैध रूप से उखाड़ कर छः स्थानों पर जमा करने से संबंधित लिखित सूचना परिवादी द्वारा तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता को दी गयी थी जिस पर कार्यपालक अभियन्ता द्वारा अग्रेत्तर कार्रवाई का निर्देश परिवादी को नहीं दिया गया।

उपस्थित कार्यपालक अभियन्ता व सहायक अभियन्ता को यह निर्देश दिया जाता है कि उपरोक्त कथित निर्माण कार्य के संवेदक से निर्माण स्थल से, कार्य के एग्रीमेन्ट में उल्लिखित शर्तों के विपरीत उनके द्वारा उखाड़े गये 37,348 अदद् ईंटों की विभाग द्वारा नियमानुसार कीमत निर्धारित कर, उक्त राशि की वसूली, उक्त संवेदक से करते हुए, आयोग को दिनांक–14.09.2019 के पूर्व इस आशय का प्रतिवेदन समर्पित करें कि उक्त राशि की वसूली के उपरान्त उनके द्वारा तत्सम्बन्धी सूचना कार्यपालक अभियन्ता, हरनौत (जिनके नियंत्रणाधीन वर्तमान में परिवादी पदस्थापित है तथा जिनके नाम से परिवादी का अंतिम वेतन प्रमाण–पत्र निर्गत किया गया था) को दे दी जाय।

कार्यालय, आज पारित आदेष की एक प्रति संलग्न कर, श्री रामदयाल पासवान, कार्यपालक अभियन्ता, कार्य प्रमण्डल, अरवल व श्री रामचन्द्र पंडित, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अवर प्रमण्डल, कुरथा, अरवल (वर्तमान में सहायक अभियन्ता ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अवर प्रमण्डल, विक्रमगंज) को यह निर्देषित किया जाय कि अगली निष्चित तिथि को उक्त के संबंध में प्रतिवेदन के साथ आयोग के समक्ष उपस्थित रहें। आज पारित आदेष को संबंधित कार्यपालक अभियन्ता तथा सहायक अभियन्ता को उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये

ई–मेल brarwal.rwd@gmail.com एवं ramchandra.rwd@gmail.com के माध्यम से भी उन्हें सूचित कर दिया जाय।

आज परिवादी के उपस्थिति में आदेश पारित किया गया है। अतः अगली निश्चित तिथि की सूचना के संबंध में परिवादी को नोटिस निर्गित करने की आवश्यकता नहीं है। परिवादी भी अगली निश्चित तिथि को उपस्थित रहेंगे।

संचिका दिनांक–14.09.2019 को उपस्थापित किया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

सहायक निबंधक